



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या-3355-औ०सं०-17/पाकालि/2023-27-एफ/80 (वो०-1)

दिनांक: 21 जुलाई, 2023

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० सरकार की अधिसूचना सं०-6/12-73/का-2-/2022 टी०सी०-VI(II) दिनांक 27.12.2022 द्वारा उ०प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (तेरहवाँ संशोधन) नियमावली-2022 के नियम-5 में किये गये संशोधन को अंगीकार किये जाने का निर्णय उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल ने अपनी बैठक दिनांक 16.06.2023 में प्रस्ताव सं०-192(26) के अन्तर्गत लिया है।

उपर्युक्त अधिसूचना अंगीकृत किये जाने के फलस्वरूप एतद्वारा उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1975 (यथासंशोधित) कार्यालय ज्ञाप सं०-2269-औ०सं०/2015 दिनांक 25.06.2015 के नियम-5 (1) में दिये गये विद्यमान नियम स्तम्भ-1 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित किया जाता है :-

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

1.(1) यह नियमावली उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत सेवकों के आश्रितों की भर्ती (तेरहवाँ संशोधन) नियमावली, 2022 कही जायेगी।

2. (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का
प्रतिस्थापन

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सेवाकाल में मृत सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 5(1)(एक) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा,
अर्थात् :-

स्तम्भ-1

स्तम्भ-2

विद्यमान नियम

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

नियम-5 (1)-मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी परिषदीय/कारपोरेशन सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय और मृत परिषदीय/कारपोरेशन सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो

नियम-5 (1)-मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी परिषदीय/कारपोरेशन सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाय और मृत परिषदीय/कारपोरेशन सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्ति :-

(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो :

परन्तु यह कि, यदि नियुक्ति किसी ऐसे पद पर की जाती है जिसके लिए टंकण को एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित किया गया है, और मृत परिषदीय/ कारपोरेशन सेवक के आश्रित के पास टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं है, तो उसे इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर लेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक ली जाएगी, और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिए उसे अग्रेतर एक वर्ष की अवधि प्रदान की जाएगी, और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी,

परन्तु यह और कि, किसी ऐसे पद पर नियुक्ति किये जाने की दशा में, जिसके लिए कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित की गयी हैं और मृत परिषदीय/ कारपोरेशन सेवक का आश्रित कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त कर लिया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसायटी द्वारा प्रदत्त "सी0सी0सी0" प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण-पत्र के साथ-साथ टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक ली जायेगी, और

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्ति :-

(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो :

परन्तु यह कि, यदि नियुक्ति किसी ऐसे पद पर की जाती है जिसके लिए टंकण को एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित किया गया है, और मृत परिषदीय/ कारपोरेशन सेवक के आश्रित के पास टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं है, तो उसे इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर लेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक ली जाएगी, और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिए उसे अग्रेतर एक वर्ष की अवधि प्रदान की जाएगी, और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया जाएगा। इस प्रकार प्रदान की गयी नियुक्ति प्रतिवर्तन न होकर नई नियुक्ति समझी जाएगी। यदि वह नियत समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी,

परन्तु यह और कि, किसी ऐसे पद पर नियुक्ति किये जाने की दशा में, जिसके लिए कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित की गयी हैं और मृत परिषदीय/ कारपोरेशन सेवक का आश्रित कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त कर लिया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसायटी द्वारा प्रदत्त "सी0सी0सी0" प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण-पत्र के साथ-साथ टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक ली जायेगी, और कम्प्यूटर प्रचालन में

कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अग्रतर अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल रहता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।

अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अग्रतर अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल रहता है तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया जाएगा। इस प्रकार प्रदान की गयी नियुक्ति प्रतिवर्तन न होकर नई नियुक्ति समझी जाएगी। यदि वह नियत समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी,

नियमावली के अन्य प्रविधान यथावत् रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या-3355-औ0सं0-17/पाकालि/2023/तददिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ/एस0एल0डी0सी0 लि0, विभूति खण्ड-2, गोमती नगर, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त),(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल/वाराणसी/पश्चिमांचल/मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
5. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर ट्रांसको, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
7. महाप्रबन्धक (का0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, 12वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण/पारेषण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
10. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0) कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड को उनके प्रस्ताव-192(26) दिनांक 16.06.2023 के क्रम में सूचनार्थ।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
14. अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेन्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
16. कट फाइल।

P. Kumar
21/7/23
(प्रदीप कुमार)

उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)